राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(e-mail : dir.socialaudit@rajasthan.gov.in, Tel.- 0141-2227033, 2227725)

क्रमांक : एफ.61(64) SSAAT/ कलैण्डर / 2020–21 / 8117-26 जयपुर, दिनांक : 01/6/2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना में पारदर्शिता के तहत् आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु दीवार लेखन (Wall Painting) के संबंध में।

प्रसंगः– प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक एफ.61(64) SSAAT/ कलैण्डर / 2020–21 / 6317–37 दिनांक 11.2.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक आदेशों के संदर्भ में **महात्मा गांधी नरेगा योजना** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2020–21 में किये गये कार्यों की सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत की सहज–दृश्य दीवारों पर लिखवाया जाना आवश्यक है। पूर्व सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी यह तथ्य सामने आया है कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा दीवार लेखन (Wall painting) का कार्य नहीं करवाया जा रहा है यह सामाजिक अंकेक्षण कार्य के दिशा निर्देशो के विपरीत है। दीवार लेखन में निम्न सूचना को निर्धारित प्रपत्रों में लिखवाया जाना है–

1. **महात्मा गांधी नरेगा योजना– (प्रपत्र संलग्न)**
   - योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाये गये समस्त परिवारों का विवरण मय मजदूरी भुगतान
   - उक्त अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों की सूचना (कार्य की माप, उस पर श्रम व सामग्री मद में व्यय की गयी राशि की सूचना सहित)

उक्त सूचना प्रासंगिक आदेशों में संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में लिखवाया जाना सुनिश्चित करवाएं। इसमें निम्नानुसार बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाए :–

- दीवार लेखन कार्य सिविल सोसायटी संगठन के सदस्यों व चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की देख–रेख में किया जाए।
- दीवार लेखन कार्य को ग्राम पंचायत के अतिरिक्त संबंधित राजस्व ग्रामों / वार्डों / मोहल्लों में भी किया जाना है, ताकि जिस ग्राम का जो कार्य है या जो लाभार्थी हैं, उनको उनके ग्राम में सूचना मिल सके।
- दीवार लेखन कार्य को राजकीय भवनों की दीवारों या चारदीवारी पर किया जाना है। यदि राजकीय भवनों की दीवारें पर्याप्त न हों, तो किन्हीं ग्रामवासियों की दीवारों का उनकी सहमति के आधार पर लेखन कार्य करावें।
- **महात्मा गांधी नरेगा योजना** के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों एवं लाभार्थियों का विवरण शुद्ध एवं वर्गीकृत रूप में लिखवाया जावें।
- महात्मा गॉधी नरेगा योजना का दीवार लेखन कार्य अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि तक सामाजिक अंकेक्षण से पूर्व सम्पन्न किया जाना हैं।
- दीवार लेखन कार्य से पूर्व समस्त सूचनाओं को निर्धारित प्रपत्रों में तैयार भी किया जाना है। इसके लिए समस्त विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ **सहायक / कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक / ग्राम रोजगार सहायक** को समस्त सूचनाओं को निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करने हेतु आदेशित कर उनकी सूचनाओं की एक प्रति पंचायत समिति में भी संधारित कर लें। इसे यथावश्यक ऑनलाइन रूप में भी अंकित व प्रदर्शित किया जा सकेगा।

- दीवार लेखन कार्य सम्पादन के लिए संबंधित विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। वे समयबद्ध रूप में समस्त सूचना बनवाने व लिखवाने का दायित्व पूर्ण करेंगे।
- दीवार लेखन कार्य ऑईल पेंट से करवाया जाये जो कम से कम आगामी 5 वर्षो तक सुपाठ्य रूप में उपलब्ध रहे। इसमें आगामी वर्षों के लिये कॉलम लिखवाये जावें।
- दीवार लेखन (ऑईल पेंटिंग) कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार/नियमानुसार प्राप्त न्यूनतम दरों एवं अनुमोदित दरों पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- लेखन कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा की जॉच सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी की जायेगी।
- वर्तमान में दिनांक 6.6.2022 से 10.6.2022 तक होने वाले सामाजिक अंकेक्षण कार्य में दीवार लेखन नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:—

(के. के. पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः एफ.61(111) SSAAT/कलेण्डर/2020/
जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा।
5.उप निदेशक, SSAAT।
6..लेखाधिकारी,(प्रशासन)/लेखाधिकारी(सामा.अंके.), सहायक लेखाधिकारी (समस्त)/कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)।
7.विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति समस्त (कोटा, बांरा, झालावाड, भरतपुर, बूंदी एवं जैसलमेर को छोडकर)को सूचनार्थ।
10 प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT।
11.रक्षितपत्रावली।

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

हात्मा गांधी नरेगा सामाजिक लेखा परीक्षा (सामाजिक अंकेक्षण) सूचना प्रपत्र (MG NREGA Social Audit Information Format) **MGNREGA (Wall Painting) Format 13**

जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत में कुल राजस्व ग्राम

वित्तीय वर्ष :– ....

कसं	ग्राम	कार्यों की संख्या			व्यय राशि			टिप्पणी / विवरण
		सामुदायिक कार्य	व्यक्तिगत कार्य	योग	सामुदायिक कार्य	व्यक्तिगत कार्य	योग	
	योग संपूर्ण ग्राम पंचायत							

ग्राम ....

कसं	कार्य का कोड	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्यकारी संस्था	व्यय राशि			माप विवरण माप पुस्तिका अनुसार (मीटर / फ़ीट)				टिप्पणी / विवरण
						श्रम	सामग्री	योग	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई / गहराई	घनफल या क्षेत्रफल	

–: अभिप्रमाणन :–

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना का माप पुस्तिका के अनुसार ही अंकन किया गया है व कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर				
नाम				
पद	(सहायक / कनिष्ठ अभियंता)	(कनिष्ठ तकनीकी सहायक)	(ग्राम विकास अधिकारी)	(कनिष्ठ सहायक / ग्राम रोजगार सहायक)